भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

रु. 100

ONE HUNDRED RUPEES

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

GH 505327

(प्रारूप "ब")

प्रदेश मे स्थित सोसाइटी/ट्रस्ट जिसके द्वारा डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी शिक्षण संस्थाएं संचालित की जा रही है अथवा सत्र 2023–24 से संचालित किये जाने का प्रस्ताव है, के अध्यक्ष/सचिव के संयुक्त हस्ताक्षर से प्रस्तुत किये जाने वाला नोटरी का शपथ–पत्र

हम दशरथ यादव अध्यक्ष व कैलाश यादव सचिव/प्रबन्धक माता बिराजी देवी शिक्षण–प्रशिक्षण सेवा संस्थान ग्राम–सलेमपुर पोस्ट– सुल्तानीपुर तहसील–सदर जिला आजमगढ़ शपथपूर्वक निम्नवत बयान करते है–

1. यह कि हमारी सोसाइटी/ट्रस्ट द्वारा निम्न शिक्षण संस्था को प्रस्तावित किया गया है।

   अ– माता बिराजी कालेज ऑफ फार्मेसी, सलेमपुर, सुल्तानीपुर, आजमगढ़

2. यह कि हमारी सोसाइटी/ट्रस्ट के नाम निम्न विवरण के अनुसार भूमि उपलब्ध है–

क्रम संख्या	पता	गाटा संख्या	भूमि का रकबा	भूमि हेक्टेयर मे
1	ग्राम– सलेमपुर पोस्ट– सुल्तानीपुर तहसील– सदर जिला– आजमगढ़	262	1.6960 हेक्टेयर	0.810 हेक्टेयर

NOTARY

प्रबन्धक
माता बिराजी कालेज ऑफ फार्मेसी
सलेमपुर, सुल्तानीपुर-आजमगढ़

Scanned with CamScanner

3. यह कि उपरोक्त अनेक शिक्षण संस्थाओं को निम्न विवरण के अनुसार हमारी सोसाइटी/ट्रस्ट द्वारा भूमि आवंटित की गयी है–

क्रम संख्या	संस्था का नाम	आवंटित भूमि का भवन	पता	गाटा संख्या	रकबा	कुल भूमि
1	माता विराजी कालेज ऑफ फार्मेसी	1	ग्राम– सलेमपुर पोस्ट– सुल्तानीपुर तहसील– सदर जिला– आजमगढ़	262	0.810	1.6960

4. यह कि उपरोक्त स्थिति संचालित शिक्षण संस्थान के संचालन के प्रारंभ के समय की है, एवं इसमें कालान्तर में कोई बदलाव नहीं किया गया है।
5. यह कि उपरोक्त विवरण में निम्नवत् बदलाव किया गया है, और आज की तिथि का विवरण निम्नवत् है–

क्रम संख्या	संस्था का नाम	पता	भूमि का विवरण		
			गाटा संख्या	कुल रकबा	कुल भूमि हेक्टेयर में
1	2	3	4	5	6
1					
2	लागू नहीं है।				
3					

6. यह कि भविष्य में यदि हमारी सोसाइटी/ट्रस्ट द्वारा कोई नई भूमि क्रय की जाती है तो उसका विवरण परिषद कार्यालय में प्रस्तुत किया जायेगा।
7. मैं घोषणा करता/करती हूं कि मेरे द्वारा दी गयी उपरोक्त सूचना मेरी निजी जानकारी में पूर्ण रूप से सत्य है। यदि दी गयी जानकारी एवं अभिलेख/दस्तावेज फर्जी, कूट रचित अथवा त्रुटिपूर्ण पाये जाते हैं तो मेरे विरुद्ध परिषद द्वारा नियमानुसार कानून संगत कार्यवाही की जा सकेगी। ऐसी की गयी विधिक कार्यवाही हेतु मैं स्वयं उत्तरदायी होऊंगा।

प्रबन्धक
माता विराजी कालेज ऑफ फार्मेसी
सलेमपुर, सुल्तानीपुर, आजमगढ़

ह0 अध्यक्ष

ROTARY